संख्या-83/2016/52/22-2-2016-17(03)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल पुत्र श्री बदलू, निवासी जनपद-लखनऊ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बन्दी रामपाल पुत्र श्री बदलू, ग्राम-घुसवल कला, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। पूर्व में हुई रामसेवक एवं बैजूदास की हत्या में रामदुलारे का हाथ होने के शक एवं दोनों पक्षों के मध्य जमीन को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05-09-1981 को प्रात: लगभग 07:30 बजे तमंचा, फरसा व कांता से हमलाकर रामदुलारे की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-236/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-6, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.02.1984 को दोषमुक्त किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 21 वर्ष 05 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 07 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि पूर्व में हुई रामसेवक एवं बैजूदास की हत्या में रामदुलारे का हाथ होने के शक एवं दोनों पक्षों के मध्य जमीन को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05-09-1981 को प्रात: लगभग 07:30 बजे तमंचा, फरसा व कांता से हमलाकर रामदुलारे की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बन्दी रामपाल पुत्र श्री बदलू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी बन्दी रामपाल पुत्र श्री बदलू, निवासी जनपद-लखनऊ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 83 /2016/52/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।